भाग–III का संशोधन

लोहाघाट से समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण–1.50 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 34614/2018)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नही) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नही। प्रस्तावित परियोजना में मात्र 01 बॉज वृक्ष प्रभावित हो रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल का पृथक से निरीक्षण नही किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत द्वारा दिनांक 23.09.2018 को किये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर ही सहमति व्यक्त की जा रही है।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट– II मे दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ। सहमत।
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनपद– चम्पावत अन्तर्गत पानी की बहुत अधिक समस्या है। जनपद– चम्पावत के निकट लोहाघाट के समीप कोलीढेक नामक स्थान पर बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण होने से जनपद– चम्पावत में अधिकांश क्षेत्र मे पानी की आपूर्ति में उक्त झील काफी सहायक होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव जनहित मे **स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।**

दिनांकः– 02.01.2019

स्थानः–अल्मोड़ा।

(डॉ0 आई0पी0 सिंह)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

Scanned by CamScanner